न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट, खागा, फतेहपुर।
उपस्थित :—श्री विजय कुमार सिंह, (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

फौजदारी वाद संख्या— 1094 सन् 1997

1—राज्य.....अभियोजक।

—: बनाम :—

1—रामसजीवन पुत्र श्री माताबदल
निवासी—ग्राम—उमरा, थाना—खागा, जिला—फतेहपुर।

.....अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या—222/97
धारा—25 आयुध अधिनियम।
थाना—खागा, जिला—फतेहपुर।

—: निर्णय :—

प्रस्तुत मुकदमा पुलिस थाना—खागा जिला—फतेहपुर द्वारा अभियुक्त 1—रामसजीवन के विरूद्ध आरोप—पत्र अर्न्तगत् धारा—25 आयुध अधिनियम न्यायालय में प्रस्तुत करने पर संस्थित हुआ है।

अभियोजन कथानक वादी मुकदमा के अनुसार संक्षेप में यह है कि मैं कां0 हेमेन्द्र सिंह मय हमराह कां0 इलियास अहमद के आज दिनांक 31.05.97 को वास्ते गस्त व देखभाल क्षेत्र थाना से रवाना होकर ग्राम उमरा पहुॅचा तो कुछ व्यक्तियों की लड़ने भिड़ने व जोर—जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जिस पर हम कर्मचारीगण तालाब के किनारे हेमराज पुत्र विपाती के घर के सामने पहुॅचे तो देखा कि कुछ व्यक्ति आपस में लड़—भिड़ रहे हैं व एक दूसरे पर जान से मारने की नीयत से हमला कर रहे हैं कि दोनो पक्षों को शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु काफी समझाया बुझाया गया। लेकिन उनमें उत्तेजना बढ़ती गयी कि शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु समय करीब 2.00 बजे रात हस्व धारा—151 सीआरपीसी मौके पर कारण बताते हुए हिरासत में लिया गया तथा पकड़े हुये तीनों व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पार्टी प्रथम हेमराज पुत्र विपाती व विपाती पुत्र मरदन व पार्टी द्वितीय के व्यक्ति ने अपना नाम राम सजीवन पुत्र माता बदल निवासीगण—उमरा थाना—खागा बताया। अभियुक्त राम सजीवन जो अपने दाहिने हाथ में तमन्चा लिये खुला प्रदर्शन करके अपने विरोधियों को मारना चाह रहा था। तमन्चा कब्जे में लेकर कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत में लिया गया तथा तलासी लेने पर पहने हुए दाहिने फेंट से एक अदद कारतूस लाल रंग का 12 बोर नं01 जिसकी पेंदी पर के.एफ.

———/2

12/94 लिखा है व तमंचा को खोलकर देखा गया तो नाल के अन्दर एक कारतूस घुसा हुआ है। जिससे नाल से बाहर निकाल कर देखा गया तो लाल रंग का नं01 का जिसके पेंदी पर के.एफ.12 लिखा हुआ है। तमंन्चा कारतूस रखने के बावत पूछा गया तो लाइसेंस दिखाने से कासिर रहा। अगर शीघ्र गिरफ्तार न लिया जाता तो आवश्यक ही शीघ्र कोई घटना घटित हो सकती थी। यह विवाद हेमराज द्वारा तालाब तालाब पट्टा को लेकर मछली पालने व विपक्षीगण द्वारा लुके छिपे मछली मारने को लेकर है। इसी बात को लेकर दोनो पक्षों में विवाद हुआ है। पार्टी द्वितीय रामसजीवन से बरामदशुदा तमंचा का हुलिया इस प्रकार है–नाल लोहा करीब 9 अंगुल जंग लगा हुआ व बाडी लकड़ी का बना हुआ। तमंचा व कारतूसों को मौके पर एक कपड़े में रखकर सिलकर सर्व मोहर किया गया। नमूना सील तैयार की गयी व पार्टी प्रथम के हेमराज के पास एक अदद लाठी बांस को कब्जे में लिया गया जो सात अदद गांढ व सात पोर है। पार्टी द्वितीय के कल्लू के कब्जे से मौके से लाठी लाठी लिये हुये भाग जाने में सफल रहा। फर्द मौके पर टार्च की रोशनी में लिखकर हमराही कर्मचारी को पढ़कर सुना कर हस्ताक्षर बनवाये गये। फर्द की एक–एक प्रति अभियुक्त को दी गयी।

तत्पश्चात संबंधित थाने के विवेचक द्वारा प्रस्तुत मामले में विवेचना की गई और घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। गवाहों के बयानात लिये गये तथा मौके का नक्शा नजरी तैयार किया गया। तत्पश्चात् अभियुक्त 1–रामसजीवन के विरूद्ध अर्न्तगत् धारा–25 आयुध अधिनियम का मामला पाते हुये आरोप–पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सम्मन भेजा गया। अभियुक्त उपस्थित हुआ तथा अपनी जमानत कराई।

न्यायालय द्वारा अभियुक्त 1–रामसजीवन को अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनिमय के आरोप से आरोपित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मॉग की।

अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथन को संदेह से परे साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू0–1 उ0नि0 हेमेन्द्र सिंह तथा पी0डब्लू0–2 कां0 रघुवंशमणि शुक्ला को परीक्षित कराया गया है। तत्पश्चात् अभियोजन पक्ष को पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी अभियोजन पक्ष द्वारा अपना साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। तब अन्ततः न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

अभियुक्त का बयान अर्न्तगत् धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्त द्वारा गलत वाद चलने एवं गवाहों द्वारा गलत गवाही दिये जाने का कथन किया गया तथा साक्ष्य सफाई देने से इंकार किया गया।

मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्षी पी0डब्लू0–1 उ0नि0 हेमेन्द्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। किन्तु पी0डब्लू0–1 ने अपनी जिरह में कहा है कि मेरी खागा थाने में तैनाती सन् 96,97,98 तक रही। हम लोग ग्राम उमरा में हेमराज के घर के पास अभि0 को गिरफ्तार किया था। उमरा ग्राम थाना खागा से पश्चिम व उत्तर था। हम लोग उमरा गांव शांति व्यवस्था व गश्त में मैं व मेरे साथ कां0 इलियास अहमद के साथ गये। थाने से हम लोग शाम रवाना हुए थे। थाने से गश्त करते हुए

———/3

उमरा गांव पहुॅचे थे। उमरा गांव रात्रि 12 बजे पहुॅचे और लगभग 2 बजे गिरफ्तारी करके चले आ रहे थे। उमरा गांव में हेमराज और रामसजीवन के पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे थे। झगड़े का विवाद तालाब में मछली पालन को लेकर था। दोनो पक्षों को गिरफ्तार किया था। राम सजीवन के कब्जे से 1तमंचा 12बोर व दो कारतूस 12 बोर बरामद हुआ व हेमराज के कब्जे से बांस की लाठी बरामद हुई। इसके अतिरिक्त हेमराज के पिता विपाती गिरफ्तार किये गये। एक आदमी मौके से भाग गया था। जिसका नाम कल्लू था। कारतूस के पीछे पेंदी पर के0एफ0 94 अंकित था। बरामदशुदा सामान मौके पर सील मुहर किया गया। गिरफ्तारी के समय हेमराज, विपाती, रामसजीवन थे। कल्लू भी था। जो मौके से भाग गया था। तमंचा राम सजीवन के दाहिने हाथ से बरामद हुआ था। लाठी हेमराज के दाहिने हाथ से बरामद हुई थी। दोनो पक्षों के बीच हुई थी। मारपीट से चोटें राम सजीवन को आयी थी। हेमराज व विपाती को हल्की चोटें आयी थी। राम सजीवन के पैर पर चोट थी। लड़ाई झगड़े की आवाजें रात में सुनाई दी थी। तब हमने जाना कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हेमराज और राम सजीवन दोनों ही एक परिवार के हैं। यह मुझे जानकारी नहीं है। हेमराज के घर के खरंजा के पास से अभियुक्त राम सजीवन को तमंचा सहित गिरफ्तार किया था। यह खरंजा हेमराज के घर के दक्षिण साइड पर है। हेमराज के घर के पश्चिम क्या है, इस समय मुझे याद नहीं है। बल्कि हेमराज के घर के बगल में तालाब है। हेमराज के घर के पूरब खाली जगह है। माल मुकदमाती तमंचे पर दो टाइगर लोहे का बना है। तमंचा खोलने पर उसकी नाल नहीं खुली। जंग लगा है। इससे जाम हो गया है। ट्रेगर कार्य कर रहा है। तमंचे के बट लकड़ी की दो भागों में लोहे की पत्ती से जुड़ी है। दोनो कारतूस 1 नम्बर के लिखे हैं। कारतूसों के सामने अंग्रेजी का 1–1 नम्बर लिखा है और कागज पर स्पेशल लिखा है। उमरा गांव हम लोग पश्चिम से गये व पूरब दिशा को गये। गांव जाते समय पहले किसका घर मिला, नहीं बता सकता। अभियुक्त राम सजीवन का घर मैं नहीं जानता। फर्द बरामदगी में सर्वप्रथम अपने कां0 इलियास व बिपाती, हेमराज व राम सजीवन के हस्ताक्षर बनाये थे। इसके अलावा दोनो पक्षों का 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता में चालान किया गया था। इसके अलावा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यह कहना गलत है कि हेमराज और मेरे मधुर सम्बन्ध थे। यह कहना गलत है कि हेमराज व रामसजीवन के भाई से विवाद हो गया था। जिस रामसजीवन ने उच्चाधिकारियों को एफ0आई0आर0 लिखे जाने हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया था। जिससे पुलिस वालों ने झूठा राम सजीवन को गिरफ्तार कर तमंचा लगाकर चालान कर दिया है। यहॉ पी0डब्लू0–1 के साक्ष्य में अन्तर्विरोध उत्पन्न हो रहा है। एक ओर पी0डब्लू0–1 कहता है कि माल मुकदमाती तमंचे पर दो टाइगर लोहे का बना है। तमंचा खोलने पर उसकी नाल नहीं खुली। जंग लगा है। इससे जाम हो गया है। ट्रेगर कार्य कर रहा है। जबकि एफ0आई0आर0 में कहा गया है कि तमन्चा कब्जे में लेकर कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत में लिया गया तथा तलासी लेने पर पहने हुए दाहिने फेंट से एक अदद कारतूस लाल रंग का 12 बोर नं01 जिसकी पेंदी पर के.एफ. 12/94 लिखा है व तमंचा को खोलकर देखा गया तो नाल के अन्दर एक कारतूस घुसा हुआ है। जिससे नाल से बाहर निकाल कर देखा गया तो लाल रंग का नं01 का जिसके पेंदी पर के.एफ.12 लिखा हुआ है। अतः यह स्पष्ट हो रहा है कि तमंचा चालू हालत में नही था। उक्त एफ0आई0आर0 पी0डब्लू0–1 ने ही तैयार की है। यहॉ पी0डब्लू0–1 दो विरोधाभासी बाते कह रहा है। इससे

———/4

उसके साक्ष्य में सन्देह उत्पन्न हो रहा है। एक ओर पी0डब्लू0–1 यह कहता है कि मैं अभियुक्त राम सजीवन का घर नही जानता हूॅ। जबकि अभियुक्त को उसने गिरफ्तार किया था। यह अस्वाभाविक प्रतीत हो रहा है कि कोई व्यक्ति किसी को गिरफ्तार करे और उसका घर भी न जानता हो। जबकि उक्त गिरफ्तारी झगड़े के दौरान अभियुक्त के घर के आस पास से की गई हो। इससे भी पी0डब्लू0–1 के साक्ष्य में सन्देह हो रहा है। एक और तथ्य पी0डब्लू0–1 के साक्ष्य में सन्देह उत्पन्न कर रहा है। पी0डब्लू0–1 का कहना है कि उसने रात के दो बजे के आस पास अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। वह भी तब जब अभियुक्त झगड़ा कर रहे थे। यह स्वाभाविक है कि जब दो पक्ष के लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो तो कई लोग वहॉ पर और भी इकट्ठा होंगे जो झगड़े को देख रहे होंग या झगड़ा छुड़ा रहे होंगे। चाहे समय कुछ भी रहा हो। किन्तु पी0डब्लू0–1 ने जो कि उस समय अभियुक्त को गिरफ्तार किया था, वहॉ के आस पास के लोगों में से किसी का साक्ष्य नही लिया। जबकि उसे कई साक्षी मिल सकते थे। इससे भी पी0डब्लू0–1 के साक्ष्य में सन्देह हो रहा है। इस प्रकार पी0डब्लू0–1 का साक्ष्य इस स्तर का नही है कि उसके आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सके। अर्थात् पी0डब्लू0–1 का साक्ष्य अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिये पर्याप्त नही है। इस प्रकार पी0डब्लू0–1 ने अपने सशपथ साक्ष्य द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। वह यह साबित करने में असफल रहा है कि उपरोक्त अभियुक्त के पास से अवैध तमंचा 12 बोर व दो कारतूस बरामद हुआ जिसको रखने का अनुज्ञा पत्र उसके पास नही था। अर्थात यह साबित नहीं किया जा सका कि उपरोक्त अभियुक्त द्वारा उक्त कथित अपराध कारित किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्षी पी0डब्लू0–2 कां0 रघुवंशमणि शुक्ला ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। किन्तु पी0डब्लू0–2 ने अपनी जिरह में यह कहा है कि मैं थाना खागा में सन् 1998 तक रहा हूॅ। मैने एस0ओ0 महोदय के आदेश से एफ0आई0आर0 अंकित की थी। नाजायज तमंचा अभियुक्त के पास से बरामद हुआ था। मुल्जिमानों को कां0 हेमेन्द्र और कांस्टेबिल इलियास ने गिरफ्तार किया था। मुल्जिमान की गिरफ्तारी किस समय हुई थी, समय याद नहीं है। मु0अ0सं0 इस समय याद नहीं है। एफ0आई0आर0 दिनांक 01.06.97 को दर्ज की थी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी घटना स्थल के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। फर्द पर कां0 हेमेंन्द्र सिंह, कां0 इलियास के हस्ताक्षर बने हैं और किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। मैने फर्द पढ़ी थी। जिस अभियुक्त के विरूद्ध एफ0आई0आर0 पंजीकृत की थी। उसे मैने देखा था। अभियुक्त की उम्र उस समय क्या थी। मुझे नहीं मालूम। बरामद तमंचा 12 बोर का था। विवेचक ने मेरा बयान किस तारीख को लिखा था, तारीख याद नहीं है। गिरफ्तारी क्षेत्र से होने के बाद कां0 हेमेन्द्र और इलियास आए थे। गिरफ्तारी के दिन ही एफ.आई.आर. पंजीकृत की थी। मुल्जिम का नाम याद है, पता नही याद है। यह कहना गलत है कि मैने कांस्टेबिल हेमेन्द्र और इलियास के कहने पर मुकदमा पंजीकृत किया है। मैं आज मूल जी0डी0 नहीं लाया हूॅ। बगैर मूल जी0डी0 के कार्बन जी0डी0 का मिलान नहीं किया जा सकता। पी0डब्लू0–2 का भी साक्ष्य अन्तर्विरोध से ग्रस्त है। पी0डब्लू0–2 को मुन्ल्जिम का नाम याद है। किन्तु पता याद नही है। अभियुक्त की उम्र भी याद नही है। पी0डब्लू0–2 ने अपने साक्ष्य में यह कहा भी है कि उसने अभियुक्त को गिरफ्तार नही किया था। बल्कि अभियुक्त को कॉ0

———/5

हेमेन्द्र व कॉ0 इलियास ने गिरफ्तार किया था। चूँकि पी0डब्लू0–2 मौके पर नही था। इससे पी0डब्लू0–2 के साक्ष्य से भी सन्देह उत्पन्न हो रहा है। इसलिये उसके साक्ष्य के आधार पर यह नही कहा जा सकता कि अभियुक्त के पास से अवैध असलहे की बरामदगी हुई है। इस प्रकार पी0डब्लू0–2 का साक्ष्य इस स्तर का नही है कि उसके आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सके। अर्थात् पी0डब्लू0–2 का साक्ष्य अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिये पर्याप्त नही है। इस प्रकार पी0डब्लू0–2 ने अपने सशपथ साक्ष्य द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। वह यह साबित करने में असफल रहा है कि उपरोक्त अभियुक्त के पास से अवैध तमंचा 12 बोर व दो कारतूस बरामद हुआ जिसको रखने का अनुज्ञा पत्र उसके पास नही था। अर्थात यह साबित नहीं किया जा सका कि उपरोक्त अभियुक्त द्वारा उक्त कथित अपराध कारित किया गया है।

अभियोजन का यह दायित्व है कि वह अभियुक्त के अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करे। यदि वह अभियुक्त के अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नही कर पाता है तो उसका लाभ सदैव अभियुक्त को ही दिया जायेगा। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अपने सशपथ साक्ष्य द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन कथानक में सन्देह उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष का साक्ष्य इस स्तर का नही है कि उसके आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सके। अर्थात् अभियोजन साक्ष्य अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिये पर्याप्त नही है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि उपरोक्त अभियुक्त के पास से अवैध तमंचा 12 बोर व दो कारतूस बरामद हुआ जिसको रखने का अनुज्ञा पत्र उसके पास नही था। अर्थात् अभियोजन के साक्ष्य से यह भली भॉति साबित नहीं हो रहा है कि उपरोक्त अभियुक्त द्वारा उक्त कथित अपराध कारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त का अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नही माना जा सकता।

उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन करने के उपरांत मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त 1–रामसजीवन के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। जिरह में अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त साक्षियों से ऐसा कोई तथ्य नहीं लाया जा सका है, जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सके। अतः यदि अभियोजन अभियुक्त के ऊपर लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहता है तो उसका लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जायेगा।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि अभियुक्त 1–रामसजीवन को सन्देह का लाभ देते हुये उसे अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत होगा।

————/6

—: आदेश :—

अभियुक्त 1—रामसजीवन को अन्तर्गतधारा—25 आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं। अभियुक्त द0प्र0सं0 की धारा—437क के प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्व में दाखिल बन्ध—पत्र एवं उन्हीं प्रतिभुओं पर अगले 6 माह तक जमानत पर रहेंगे।

दिनांकः—27 / 07 / 2016

(विजय कुमार सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खागा, फतेहपुर।

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा दिनॉकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांकः—27 / 07 / 2016

(विजय कुमार सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खागा, फतेहपुर।